

मूल वाद में अन्तिम डिक्री
बमुकद में ईबतदाई


अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहाय क कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- जय कौशिक (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 93/2023

वाद पत्र अं. धारा 88/53 आर.टी.ए.



कर्मजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़ वादी

बनाम

सरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला
हनुमानगढ़

2. कलावती पत्नी मनफूल जाति जाट निवासी महियावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
3. जगसीर सिंह पुत्र कर्म सिंह पुत्र मस्सा सिंह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
4. इकबाल सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह पुत्र मस्सा सिंह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
5. जसवीर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह पुत्र मस्सा सिंह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
6. चरणजीत सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह पुत्र मस्सा सिंह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
7. बोगाराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
8. रूपराम पुत्र भादरराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
9. मोहन लाल पुत्र मनीराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
10. संजय पुत्र भागीरथ पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बोलावाली तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
11. भजने लाल पुत्र अंगद पुत्र रामजी लाल पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
12. राम कुमार पुत्र हरचन्द पुत्र मंगलू जाति जाट निवासी बोलावाली तह. संगरिया जिला हनुमानगढ़
13. सतपाल सिंह पुत्र सरजीत सिंह पुत्र मस्सा सिंह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
14. जसकरण सिंह पुत्र सरजीत सिंह पुत्र मस्सा सिंह जाति तरखान निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
15. महेन्द्र पुत्र लीलाधर पुत्र रामचन्द्र पुत्र मंगलू जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
16. बलदेव पुत्र लालूराम जाति जाट निवासी बोलावाली तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
17. तहसीलदार राजस्व संगरिया प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :- 3-2-2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रुबरू हमारे बहाजरी श्री नरेश मण्डा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय धारणियां वकील प्रतिवादी 1 मिन जानिव मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:- चक 17 बीजीपी


1. कर्मजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख सा. बोलावाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
155/166	72	13,18,23,24/0.253 है. प्र.
155/167	75	2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. गौ.मु.रास्ता, 3/1/0.228 है. 3/2/0.025 है. गौ.मु.रास्ता, 4/1/0.228 है. 4/2/0.025 है. गौ.मु.रास्ता

महायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. सरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख सा. बोलावाली की कब्जा काश्त भूमि :-

प.न.	मु.न.	किला नं.
155/166	72	9 ता 12, 19 व 20/0.253 है. प्र., 22/0.253 है.



अतः उक्त वाद अपवादित खाता से संबंधित है पक्षकारान को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया है फिर भी यदि किसी पक्षकार का हित एकपक्षीय होने के कारण प्रभावित होता है तो उक्त वाद पुनः संस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंघा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक प्रा.डिक्री/भू.अ./2024/4444 दिनांक 08.11.2024 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

नोट :-यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....मुब्लिक.....बाबत.....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....को अदा करे।

बसन्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक...3.2.2026...को खुले न्यायालय में जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक क्लर्क एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया